न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/24

रामनिवास आत्मज ग्यारसा आयु 56 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. नाथूलाल आत्मज कान्हा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. मन्ना लाल आत्मज नाथूलाल ।
   1/2. रामगोपाल आत्मज नाथूलाल ।
   1/3. महावीर आत्मज नाथूलाल जाति बलाई निवासीगण रामदेव जी के मंदिर के पास मेघवालों का मोहल्ला कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/4. बसन्ती बाई पुत्री नाथूलाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/4/1. मन्नी पत्नी भंवर लाल जाति बलाई ।
   1/4/2. कैलाश पत्नी रामबाबू जी जाति बलाई निवासीगण ग्राम तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. कंचन बाई पत्नी रामेश्वर जाति बेरागी निवीस नर्सिग मंदिर के सामने कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 03 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 27.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.03.1996 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट के पिता (मृतक) ग्यारसा ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कापरेन तहसील के0 पाटन में कुल 03 किता की रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । ग्राम पीपल्दा जागीर तहसील के0 पाटन में कुल 03 किता की रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम करीरिया तहसील के0 पाटन में

कुल 03 किता की रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमियॉ वादी एवं रेस्पोडेन्ट कम 01 के खातेदारी की भूमि हैं जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा निहित है । दोनों सहखातेदारों के मध्य पूर्व में बंटवारा हो चुका है जिसके अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं परन्तु विभाजन के अनुसार उक्त भूमि पक्षकारान के पृथक–पृथक खाते में दर्ज नहीं है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी जो उनके हिस्से में आई है का विभाजन करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम पृथक से दर्ज करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 01 में अंकित आराजी वादी के बंटवारे में अंकित की जावे एंव चरण संख्या 2व 3 की भूमि प्रतिवादी के बंटवारे में करके उनके नाम पृथक से दर्ज की जावे ।

4. तत्पश्चात् दिनां 16.02.1996 को पक्षकारान के द्वारा परीक्षण न्यायालय में लिखित राजीनाम पेश किया और राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.02.1996 के द्वारा वाद बरूए राजीनामा डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.1996 से व्यथित होकर (मृतक) वादी के पुत्र अपीलान्ट रामनिवास ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट के पिता एवं रेस्पोडेन्ट कम 01 के पिता नाथूलाल जी सगे भाई हैं जिनके कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम कापरेन, ग्राम पीपल्दा जागीर एवं ग्राम करीरिया तहसील के0 पाटन में स्थित आराजी है । उक्त भूमियों के बंटवारे के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया उक्त बंटवारे के वाद में खसरा नम्बर 362 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा आराजी को रेस्पोडेन्ट कम 03 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 01 जाति से अनुसूचित जाति के सदस्य हैं जिनकी आराजी किसी भी प्रकार से रेस्पोडेन्ट कम 03 के नाम दर्ज नहीं की जा सकती फिर भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (बी) का उल्लंघन कर रेस्पोडेन्ट कम 03 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.1996 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के बाद दिनांक 08.01.2020 को रेस्पोडेन्ट कम 03 द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी देने और वर्णित आराजी स्वयं के नाम दर्ज होने का कथन किया जिस पर प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त कर वकील साहब से सम्पर्क किया जिनके द्वारा नकल का प्रार्थना पत्र लगाकर दिनांक 15.01.2020 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट के पिता को समुचित सनुवाई का अवसर प्रदान किये बिना आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 3 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है । आराजी अपीलान्ट के पिता और रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के शामलाती खाते में थी जिसके लिए विभाजन का दावा पेश किया गया था । त्रुटिपूर्ण रूप से खसरा नम्बर 362 की 13 बीघा 11 बिस्वा आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 03 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 01 अनुसूचित जाति के सदस्य हैं जिनकी आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 03 के नाम दर्ज नहीं की जा सकती । धारा 42 बी के उल्लंघन में आदेश पारित किया गया है । खसरा नम्बर 362 से रेस्पोडेन्ट क्रम 03 का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.1996 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील विलम्ब से पेश की गई है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । परीक्षण न्यायालय में निर्णय राजीनामे से हुआ है । आराजी के बाबत् राजीनामे के आधार पर सन् 1996 में निर्णय पारित हो गया था । आराजी तब से रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज है और वो उस पर काबिज है । अपीलान्ट के पिता डिक्री पारित होने के बाद काफी समय तक जीवित रहे, उन्होंने अपने जीवनकाल में कभी अपील नहीं की । राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.1996 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2016 (1) पेज 201, डीएनजे 2008 (1) पेज 39, डीएनजे 2013 (एससी) पेज 829 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादी ग्यारसा के द्वारा एक दावा नाथू के खिलाफ विभाजन के लिए पेश किया गया था । इसके उपरान्त संशोधित दावा पेश कर कंचन बाई प्रतिवादी क्रम 03 को भी पक्षकार बनाया गया है । परीक्षण न्यायालय में दिनांक 16.02.1996 को एक राजीनामा पक्षकारों के द्वारा पेश किया गया है । इस राजीनामे के अनुसार खसरा नम्बर 362 की 13 बीघा 11 बिस्वा आराजी कंचनबाई के खाते दर्ज करने की प्रार्थना की है और परीक्षण न्याालय ने अपीलाधीन निर्णय से यह आराजी कंचन बाई के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं ।

12. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2045–48 के अनुसार कुल 03 किता की 22 बीघा 02 बिस्वा आराजी नाथू, ग्यारसा पिसरान खाना कौम बलाई के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2046–49 के अनुसार कुल 03 किता की 07 बीघा 07 बिस्वा नाथू, ग्यारसा पिसरान कान्हा कौम बलाई के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2044–47 कुल 03 किता की रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा आराजी नाथू, ग्यारसा पिसरान खाना कौम बलाई के खाते में दर्ज है ।

13. परीक्षण न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त आराजी में खसरा नम्बर 362 की 13 बीघा 11 बिस्वा आराजी कंचन बाई पत्नी रामेश्वर के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये हैं । वादी और प्रतिवादी क्रम 01 अनुसूचित जाति के सदस्य हैं । प्रतिवादी क्रम 03 अनुसूचित जाति के

सदस्य नहीं हैं । ऐसी स्थिति में धारा 42 बी के उल्लंघन में वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त खाते की आराजी प्रतिवादी क्रम 03 के खाते में दर्ज नहीं की जा सकती । पक्षकारों के द्वारा जो राजीनामा पेश किया गया है वो भी विधिक प्रावधानों के विपरीत है और ऐसा राजीनामा जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होता है उसके आधार पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

14. जहॉ तक विलम्ब का प्रश्न है अपील सन् 1996 के निर्णय के खिलाफ दिनांक 17.01.2020 को पेश की गई है । विलम्ब के लिए धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र किया गया है जिसका जवाब रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिया गया है । ऐसा निर्णय जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होता है उनके लिए समय सीमा का प्रश्न गौण हो जाता है । तद्नुसार रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्वरत नजीरें यहॉ चस्पा नहीं होता हैं । अतः हम धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को शमन किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.1996 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित निर्देशित किया जाता है कि विधिक प्रावधानों के विपरीत पेश किये गये राजीनामे को नजर अन्दाज करते हुए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । यदि धारा 42 (बी) के उल्लंघन में कोई विक्रय हुआ है तो तहसीलदार के0 पाटन विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार के0 पाटन को प्रेषित की जावे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/9/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा